2011 का विधेयक संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 5 का संशोधन ।
3. धारा 7 का संशोधन।

2011 का विधेयक संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः––

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

धारा 5 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 5 में,––

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :––

"(1) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार––

(i) वित्तीय वर्ष 2011–12 तक राजस्व घाटा समाप्त करेगी और तत्पश्चात् राजस्व अधिशेष बनाए रखेगी;

(ii) राजकोषीय घाटे को, वित्तीय वर्ष 2010–2011 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक या इससे कम करेगी, वित्तीय वर्ष 2011–12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक या इससे कम करेगी और तत्पश्चात् राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के स्तर तक या इससे कम पर बनाए रखेगी;

(iii) परादेय ऋण को, वित्तीय वर्षों 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 और 2014–15 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 49.7 प्रतिशत, 47.0 प्रतिशत, 44.4 प्रतिशत, 42.1 प्रतिशत और 40.1 प्रतिशत तक कम करेगी; और

(iv) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति, जिसके लिए वित्तीय लेखों के अनुसार वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं, के चालीस प्रतिशत से कम के दीर्घकालिक ऋण पर परादेय जोखिम भारित प्रत्याभूतियां बनाए रखेगी।''; और

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :––

"(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से या, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा घोषित करने के कारण, राज्य सरकार के वित्त पोषण पर अप्रत्याशित मांगों की दशा में, उपधारा (1) के खण्ड (i), (ii) और (iii) के विभिन्न मानदण्डों के अन्तर्गत लक्ष्यों में बढ़ौतरी हो सकेगी :

परन्तु इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट आधार या आधारों के बारे में विवरण, ऐसे घाटे की रकम के उपरोक्त लक्ष्यों से अधिक होने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।"।

धारा 7 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:––

"(3) इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट राजकोषीय सुधार कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार करने और मॉनीटर करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा, एक स्वतन्त्र क्रियाप्रणाली स्थापित की जाएगी।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में वर्ष, 2005 में हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट 25 फरवरी, 2010 को संसद के समक्ष रखी गई थी और भारत सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। अन्य बातों के साथ–साथ, आयोग की रिपोर्ट यह भी उपबन्धित करती है कि राज्य विशेष अनुदान और उन द्वारा संस्तुत कतिपय अन्य प्रसुविधाएं, इस शर्त पर दी जाएंगी कि प्रत्येक राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम को निम्नलिखित उपबन्धों के साथ अधिनियमित/संशोधित करें:––

(i) वित्तीय वर्ष 2011–12 तक राजस्व घाटा समाप्त करे और तत्पश्चात् राजस्व अधिशेष बनाए रखे;

(ii) राजकोषीय घाटे को, वित्तीय वर्ष 2010–2011 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक या इससे कम करेगी, वित्तीय वर्ष 2011–12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक या इससे कम करे और तत्पश्चात् राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के स्तर तक या इससे कम पर बनाए रखे;

(iii) परादेय ऋण को, वित्तीय वर्षों 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 और 2014–15 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 49.7 प्रतिशत, 47.0 प्रतिशत, 44.4 प्रतिशत, 42.1 प्रतिशत और 40.1 प्रतिशत तक कम करे; और

(iv) इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट राजकोषीय सुधार कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार करने और मॉनीटर करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा, एक स्वतन्त्र क्रियाप्रणाली स्थापित की जाएगी।

इसलिए, तेरहवें वित्त आयोग की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए पूर्वोक्त अधिनियम को तद्नुसार संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख....., 2011

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर, विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे। इस प्रकार इससे राजकोष पर कोई अतिरिक्त व्यय उपगत नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मन्त्री।

(ए. सी. डोगरा)
सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख ....., 2011

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 14) के उपबंधों के उद्धरण

धाराएं :

5. राजकोषीय प्रबन्ध लक्ष्य.––(1) विशिष्टयता और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार––

(क) मार्च, 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटे को कम करने और उसके पश्चात् अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए;

(ख) राजकोषीय घाटे को, कुल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक लाने हेतु, उत्तरोत्तर कम करने के लिए; और

(ग) दीर्घकालिक ऋण पर इसकी परादेय प्रत्याभूतियों को उत्तरोत्तर कम करने के लिए, जब तक कि यह परादेय जोखिम भारित प्रत्याभूतियों को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के अस्सी प्रतिशत तक समाप्त न कर दें, जिस के लिए वित्त लेखों के अनुसार वास्तविक उपलब्ध है,

प्रयास करेगी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा या प्राकृतिक विपदा की घोषणा करने या ऐसे अन्य असाधारण आधार जैसे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं के कारण राज्य सरकार के वित्त प्रबन्ध पर अपूर्वदृश्य मांगों की दशा में राजस्व घाटे में बढ़ौतरी हो सकती है :

परन्तु इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट आधार या आधारों के बारे में ऐसे घाटे की रकम के उपरोक्त लक्ष्यों से अधिक होने के पश्चात् विवरण यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

7. अनुपालन प्रवर्तित करने के उपाय.––(1) वित्त विभाग का प्रभारी मन्त्री प्रत्येक छह मास के पश्चात्, बजट से सम्बन्धित प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकन का निष्कर्ष विधान सभा के समक्ष रखेगा। पुनर्विलोकन रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में होगी जैसा विहित किया जाए और निम्नलिखित को स्पष्ट करेगी,––

(क) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर बाध्यताओं को वहन करने में किसी विचलन या संभाव्य विचलन को संत्यक्त करना;

(ख) क्या ऐसा विचलन सारभूत है और वास्तविक या संभाव्य बजट के परिणामों से सम्बन्धित है और राज्य सरकार द्वारा साधारण आर्थिक पर्यावरण और नीति परिवर्तनों के कितने अधिक विचलन को माना जा सकता है; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले प्रस्तावित उपचारी उपाय।

(2) जब कभी राज्य सरकार की किसी नई नीति के विनिश्चय के कारण दिए गए वर्ष के लिए पूर्व विनिर्दिष्ट स्तरों पर राजस्व में या तो कमी या व्यय के बढ़ने के आसार हों, जो राज्य सरकार या इसके पब्लिक सेक्टर उपक्रमों को प्रभावित करें, तो राज्य सरकार ऐसे नीति विनिश्चय लेने से पूर्व, विधान सभा द्वारा अधिनियमित किसी अधिनियम के अधीन राज्य की समेकित निधि से संदत्त की जाने वाली या को लागू होने वाली या में से प्राधिकृत रकमों को कम करके चालू और आगामी वित्तीय वर्षों के लिए राजकोषीय समाधान, के पूर्णतः प्रतिकर के लिए ऐसी राशियों के विनियोग हेतु उपलब्ध करके, या राजस्व में वृद्धि के लिए अन्तरिम उपायों को, करके या दोनों को मिला कर उपाय करेगी :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) के अधीन राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को लागू नहीं होगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 3 OF 2011

THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2011

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.
2. Amendment of section 5.
3. Amendment of section 7.

Bill No. 3 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2011

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (Act No. 14 of 2005).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2011.

Amendment of section 5.

2. In section (5) of the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (hereinafter referred to as the principal Act,— 14 of 2005

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall—

(i) eliminate revenue deficit by financial year 2011-12 and maintain revenue surplus thereafter;

(ii) reduce fiscal deficit to 3.5 per cent or less of Gross State Domestic Product by financial year 2010-11, 3 per cent or less of Gross State Domestic Product by financial year 2011-12 and maintain fiscal deficit at the level of 3 per cent or less of Gross State Domestic Product thereafter;

(iii) reduce outstanding debt to 49.7 per cent, 47.0 per cent, 44.4 per cent, 42.1 per cent and 40.1 per cent of Gross State Domestic Product by the financial years 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 respectively; and

(iv) maintain outstanding risk weighted guarantees on long term debt below forty per cent of total revenue receipt in the preceding financial year for which actuals are available as per finance accounts." ; and

(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the targets under different parameters of clauses (i), (ii) and (iii) of sub-section (1), may be exceeded in the case of unforeseen demands on the finances of the State Government due to reasons of national security or natural calamity declared by the State Government or the Central Government, as the case may be:

Provided that a statement in respect of the ground or grounds specified under this sub-section shall be placed before the Legislative Assembly, as soon as may be, after such deficit amount exceeds the aforesaid targets.".

Amendment of section 7.

3. In section 7 of the principal Act, after sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(3) An independent mechanism shall be set up by the State Government to review and monitor the fiscal reform path set out under this Act.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act was enacted in the year 2005. Thirteenth Finance Commission report was tabled in Parliament on 25th February, 2010 and the recommendations have been accepted by the Government of India. Among other things, the Commission's report provides that State Specific grants and certain other benefits recommended by them would be released on the condition that each State must enact or amend the Fiscal Responsibility and Budget Management Act with the following provisions:—

(i) Eliminate revenue deficit by financial year 2011-12 and maintain revenue surplus thereafter;

(ii) Reduce fiscal deficit to 3.5 per cent or less of Gross State Domestic Product by financial year 2010-11, 3 per cent or less of the Gross State Domestic Product by financial year 2011-12 and maintain fiscal deficit at the level of 3 per cent or less of Gross State Domestic Product thereafter;

(iii) Reduce outstanding debt to 49.7 per cent, 47.0 per cent, 44.4 per cent, 42.1 per cent and 40.1 per cent of Gross State Domestic Product by the financial years 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 respectively; and

(iv) An independent mechanism shall be set up by the State Government to review and monitor the fiscal reform path set out under this Act.

Thus, in order to meet the requirement of the 13th Finance Commission, it has been decided to amend the Act *ibid* accordingly. This has necessitated amendments in the Act *ibid.*

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

SHIMLA :

The……..., 2011.

FINANCIAL MEMORANDUM

Provisions of the Bill, when enacted, shall be enforced through the existing Government machinery. As such, there shall be no additional expenditure out of the State exchequer.

———

MEMORANDUM REGARDING DELIGATED LEGISLATION

—NIL—

THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2011

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (Act No. 14 of 2005).

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

(A.C. DOGRA)
Secretary (Law).

SHIMLA :

The……..., 2011.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005 (ACT No. 14 OF 2005) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

SECTIONS :

5. Fiscal Management targets.—"(1) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall endeavor to—

(a) reduce revenue deficit every financial year compared to previous financial year to eliminate revenue deficit by March, 2009 and generate revenue surplus thereafter;

(b) progressively reduce fiscal deficit to bring it to three per cent of Gross State Domestic Product; and

(c) progressively reduce its outstanding guarantees on long term debt, until it can cap outstanding rick weighted guarantees at eighty per cent of total revenue receipt in the preceding financial year for which actuals are available as per finance accounts."

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the revenue deficit may be exceeded in the case of unforeseen demands on the finances of the State government due to reasons of national security or natural calamity declared by the State Government or the Central Government, as the case may be, or such exceptional grounds, as may be specified by the Government :

Provided that a statement in respect of the ground or grounds specified under this sub-section shall be placed before the Legislative Assembly, as soon as may be, after such deficit amount exceeds the aforesaid targets.

7. Measures to enforce compliance.—(1) The Minister-in-charge of the Department of Finance shall review, after every six months, the trends in receipts and expenditure in relation to the budget, and place before the Legislative Assembly the outcome of each reviews. The review report shall be in such form as may be prescribed and shall explain.—

(a) any deviation or likely deviation in meeting the obligations cast on the State government under this Act;

(b) whether such deviation is substantial and relates to the actual or the potential budgetary outcomes, and how much of the deviation can be attributed to general economic environment and to policy changes by the State Government; and

(c) the remedial measures the State Government proposes to take.

(2) Whenever there is a prospect of either shortfall in revenue or excess of expenditure over pre-specified levels for a given year on account of any new policy decision of the State Government that affects either the State Government or its Public Sector Undertakings, the State Government, prior to taking such policy decision, shall take measures to fully offset the fiscal impact for the current and future financial years by curtailing the sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State under any Act enacted by the Legislative Assembly to provide for the appropriation of such sums, or by taking interim measures for revenue augmentation, or by taking up a combination of both :

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the expenditure charged on the Consolidated Fund of the State under clause (3) of article 202 of the Constitution.

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला–3530–जुड0 / 2010–1–3–2011––250.